

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ..... C/821 /

जबलपुर, दिनांक 05/02/2025

II-13-65/24

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 161/4/31/82/नि-1/4, दिनांक 31.01.1983 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार स्वर्गीय श्री हरीश सिंह राणा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की मृत्यु दिनांक 17/04/2024 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में शेष 229 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति एवं उक्त राशि का भुगतान श्रीमती कमला राणा पति स्वर्गीय श्री हरीश सिंह राणा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(हर्ष सिंह बहरावत)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)  
द०

पृष्ठांकन क्रमांक..... C/822 /

जबलपुर, दिनांक 05/02/2025

II-13-65/24

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 3265/लेखा/2024 इंदौर दिनांक 19/11/2024 के संदर्भ में स्वर्गीय श्री हरीश सिंह राणा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं अवकाश लेखा मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न :-अवकाश लेखा।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)  
द०

\*\*\*\*\*